

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- उमर दीन खान
आई.ए.एस.

संख्या 39/2019

हसनसाद पुत्र कासम अली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी सोती, तहसील व जिला झुंझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

— रेस्पोजेन्ट

विरुद्ध निर्णय दिनांक 07.09.2018 द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनू उनवानी प्रकरण सरकार द्वारा हसनसाद मु.नं. 68/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित-

1. श्री तैयुब हुसैन, एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय- अभिभाषक रेस्पोजेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनू के निर्णय दिनांक 07.09.2018 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 व प्रा0प0 स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के विषयक तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त प्रार्थी को ग्राम सोती स्थित भूमि ख0न0 129 कुल रकबा 2.47 है0 किलो मी0नु0 जोहड मे से 0.03 है0 पर अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्त को वर्तमान प्रकरण संख्या 68/2018 पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार महोदय झुंझुनू द्वारा गलत नोटिस जारी किया गया है क्योंकि अपीलान्त को पूर्व में प्रकरण के निर्णय दिनांक 20.12.1993 को पूर्व में श्रीमान हाजा निस्तारित फरमा दिया गया था उक्त प्रकरण में माननीय तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्रावली मे गलत रिपोर्ट पटवारी हल्का, जांच रिपोर्ट गिरदावर हल्का के आधार पर तथा अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत किए गये दस्तावेजात व तहसीलदार झुंझुनू के कार्यालय द्वारा दिनांक 12.09.1980 के पट्टा सं. 13 की प्रति के अपीलान्त के पिता कासिम के हक में जारी किया गया था, के आधार पर जबाब देहन्दा के विरुद्ध दिनांक 20.12.1993 को अपीलान्त के विरुद्ध कार्यवाही इस आधार पर ड्रॉप की गई थी कि अपीलान्त को तहसीलदार बनाम कासम में उसके 50 साल पूर्व के बसासत व कब्जे के आधार पर नियमन की कार्यवाही की गई थी तथा उक्त नियमन के तहत अपीलान्त के पिता कासिम को दिनांक 12.09.1980 को पट्टा सं.13 पटवारी हल्का की रिपोर्ट, गिरदावर हल्का की जांच रिपोर्ट व गवाहन के शपथ पत्र के आधार निर्धारित शुल्क लेकर 270 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया था उक्त पट्टा निर्धारित शुल्क 72.50 रुपये लेकर जारी किया गया था व प्रार्थी से 130 रुपये लेकर इस प्रकार कुल 130/- रुपये की राशि लेकर तहसीलदार झुंझुनू द्वारा दूसरा पट्टा सं0 32 उक्त पट्टा दिनांक 20.12.1993 को मिसल नं. 924/92 की कार्यवाही भी ड्रॉप कर दी गई थी। प्रकरण में विबन्ध का सिद्धान्त लागू होता था इस प्रकार वर्तमान में तहसीलदार झुंझुनू द्वारा दिये गये नोटिस में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का कोई नाजायज कार्यवाही अपीलान्त ने नहीं कर रखा है बल्कि अपीलान्त बाकायदा तहसीलदार की नियमानुसार प्रक्रिया के तहत नियमन की कार्यवाही से अपने पिता के पक्ष में जारी पट्टे शुदा भूमि पर अपने पुख्ता मकानात के तहत पिछले 70 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी रिहायश करता आ रहा है आदि तथ्यों के लिए नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनू ने निर्णय दिनांक 07.09.2018 को पारित कर तहसीलदार पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भूमि ख.नं. 129 रकबा 2.47 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर भूमि को ड्रॉप किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध गलत दी है व गलत रिपोर्ट के आधार पर अदालत हाजा द्वारा अपीलान्त को गलत नोटिस दिया गया है इस पर गौर नहीं किया है।

जिला कलक्टर झुंझुनू

विधान का सिद्धान्त लागू होता है। उक्त भूमि पट्टेशुदा भूमि है। अपीलान्त के पिता को तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पट्टा संख्या 13 दिनांक 12.09.1980 को 270 वर्गगज का जारी किया है। अदालत मातहत ने भी अपने आदेश में माना है कि अपीलान्त का अपने पट्टे शुदा भूमि पर ही कब्जा है इसके अलावा अपीलान्त ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित परिपत्र संख्या प. 6(10) संख्या 4/74 दिनांक 23.01.1974 द्वारा जारी अधिसूचना समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक एवं अन्य भूमियों पर दिनांक 31.12.1970 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये जा रहे भू-उपयोग के लिए रहने हेतु मकान का निर्माण या बाड़ा बनाकर भूमि का रूपान्तरण हो तो उनके मामले में शिल्क नियमन किये जाकर उनके हक में मालिकाना हक दे दिये जावे, का आदेश किये जा चुके है। उक्त ही विधान अभिभाषक ने बहस के दौरान नजीर (2006)1 डी.एन.जे. 164 हुकम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कथन किया कि नजीर के अनुसार The powers under Section 91 of the Act of 1956 can be exercised only against the trespassers. The petitioners being in possession of the land in dispute in view of the pattas issued by the Gram Panchayat cannot be held trespassers. As such the proceedings initiated under Section 91 of the Act of 1956 are absolutely without jurisdiction. अपीलान्त पट्टाधारी है तथा पट्टाधारी व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत ने उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि में अपीलान्त अपने पूर्वजों से कब्जा से आबाद है। उक्त भूमि में अपीलान्त के नाम दिनांक 12.09.1995 से विद्युत कनेक्शन है। अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि का नियमानुसार सरकार को शिल्क चुकाया जाकर पट्टा अपने हक में लिया हुआ है। उक्त अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी के विरुद्ध निर्णय दिनांक 07.09.2018 को निरस्त किया जावे।

विधान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की भूमि की किस्म गैरमुजोहड की भूमि है जो राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्त ने पुख्ता आवासीय कब्जा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसका अपीलान्त को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्त अदालत मातहत में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहा है, इसलिए उसे उक्त निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही है अपीलान्त ने दिन-प्रतिदिन की देरी का कोई कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्त मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के अभाव में निर्णय पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अपीलान्त की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलान्त का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है यथा :-

1. अपीलान्त ने अपील लगभग 8 माह बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, इसकी बाबत अपीलान्त का तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत के यहां पत्रावली साक्ष्य सबूत हेतु पेशी में थी, तत्पश्चात अपीलान्त को अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 07.09.2018 की जानकारी नहीं दी गई। पटवारी द्वारा मौके पर अतिक्रमण हटाने हेतु जाने पर अपीलान्त को आदेश की जानकारी हुई। अपीलान्त अदालत मातहत के यहां जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहा है। जिससे यह तथ्य तो साफ है कि उसे उक्त आदेश की जानकारी रही है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण तब तक नहीं किया जाये जब तक कि बिनदु के बजाय गुणावगुण तथा पक्षकारों की पूर्ण सुनवाई के बाद किया जाना न्यायोचित है। उक्त अपीलान्त की अपील को अन्दर मियाद मानते हुये की गई देरी को कन्डोन किया जाता है।
2. अदालत मातहत ने अपीलान्त को गैर मुमकीन जोहड की भूमि पर अतिक्रमी माना है, जिसके संबंध में अपीलान्त का कथन यह रहा है कि अपीलान्त अपनी पट्टे शुदा भूमि पर काबिज है तथा अपनी पट्टे की भूमि के अलावा उसके द्वारा अन्य कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अदालत मातहत ने अपने आदेश में माना है कि अपीलान्त अपने पट्टेशुदा भूमि पर काबिज है जिससे अपीलान्त के कथनों की पुष्टि होती है। अपीलान्त को तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पट्टा संख्या 13 दिनांकित 12.09.1980 जारी किया हुआ है। उक्त विवादित आराजी की बाबत अपीलान्त के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 924/1992 निर्णय दिनांक 20.12.1993 द्वारा उक्त पट्टे के आधार पर कार्यवाही समाप्त की गई थी। इस प्रकार जब पट्टे के अभाव में दिनांक 20.12.1993 को कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है तो उसी पट्टे की भूमि पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को वर्तमान में अतिक्रमी किसी आधार पर माना है, अतिक्रमी द्वारा

पिला कलकर झुंझुनू


अधिक जमीन पर कब्जा है? इसकी जांच किये जाने का तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है। जिसका परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

3. अपीलान्त द्वारा अपील में वर्णित राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित परिपत्र संख्या प. 6(10) स.स. / बुन 4/74 दिनांक 23.01.1974 द्वारा जारी अधिसूचना समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक एवं अन्य गैर मु. राजस्व भूमियों पर दिनांक 31.12.1970 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये जा रहे भू-उपयोग के लिए रहने हेतु मकान का निर्माण या बाड़ा बनाकर भूमि का कब्जा हो तो उनके मामले में निःशुल्क नियमन किये जाकर उनके हक में मालिकाना हक दे देने का आदेश किये जा चुके हैं। उक्त अधिसूचना की रोशनी में भी प्रकरण का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।
4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह तथ्य तो साफ है कि अपीलान्त का विवादित आराजी पर 50 वर्ग में आवासीय मकान बनाकर आबाद है तथा वह सन् 1983 से पट्टाधारी है। अपीलान्त द्वारा उक्त नजीर (2006)1 डी.एन.जे. 164 हुकम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के अनुसार The powers under Section 91 of the Act of 1956 can be exercised only against the trespassers. The petitioners being in possession of the land in dispute in view of the pattas issued by the Panchayat cannot be held trespassers. As such the proceedings initiated under Section 91 of the Act of 1956 are absolutely without jurisdiction. उक्त नजीर के अनुसार पट्टाधारी व्यक्ति के विवादित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इस तथ्य की जांच अपेक्षित है।
5. उक्त ही पट्टे के आधार पर जब पूर्व में कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है तो दुबारा उसी प्रकरण में निम्न आदेश पारित करने से प्रकरण पर विबन्ध का सिद्धान्त लागू होता है।

उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्त स्वीकार की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है अदालत मातहत मौके की तारीख पर उपस्थित होकर अपीलान्त के कब्जे तथा पट्टे की भूमि का मिलान कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन आदेश की बजाय अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय की तारीख अलग हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (शुबर दीन खान)
 जिला कलक्टर,
 झुंझुनू